पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 358/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.11.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 20.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

01.थाना- कोतवाली: छेड़खानी व मारपीट करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 18/11/24 को समय 8 pm रात्रि मे मैं अपने घर पर मौजूद थे कि उसी समय विपक्षी अभिषेक प्रजापति पुत्र सुरेन्द्र प्रजापति निवासी गुरुटोला सदर आजमगढ अपने साथी शुभम सोनकर पुत्र अच्छेलाल सोनकर निवासी गुरूटोला थाना कोतवाली व कई सारे लोग थे कई लोगो के साथ वादी के निवास पर आकर वादी की भतिजी के साथ छेडखानी की और पापा,मम्मी, हम भाईयो को धार दार हथियार और हम और लाथी ,ठण्डा ,राड और इटा चला कर मेरे पीता जी ,भतीजी ,मम्मी भाई को जी ससे मेरे पीता जी का सर फट गया तथा बचाने आये प्रदीप को मारे उसका भी सर फट गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 633/24 धारा 3(5),115(2),118(1),125,74 बीएनएस दि. 18.11.24 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक- 20.11.24 को उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अभिषेक प्रजापति पुत्र सुरेन्द्र प्रजापति उम्र 19 वर्ष, 2. शुभम सोनकर पुत्र अच्छेलाल सोनकर उम्र 21 वर्ष निवासीगण गुरुटोला थाना कोतवाली आजमगढ़ को समय 11.50 बजे थाना कोतवाली परिसर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02.थाना दीदारगंजः चोरी गये सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 18.11.2024 को वादी हसन हैदर पुत्र मो अनीस ग्राम राजापुर थाना दीदारगंज आजमढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि मेरे भाई रईस का करकट का घर है मेरे भाई का परिवार कई दिनो से घर से बाहर गये हुये थे मै भी 17.11.2024 की कही गया था दिनांक 17.112024 को 4 बजे शाम को मेरे पड़ोसी अफजल पुत्र विसमिल्ला जो नसेडी है मौका पाके ताला तोड़कर घर मे रखे बकसे का ताला तोडकर बकसे मे रखा समान चुरा ले गया तथा दुबारा रात में 11.30 बजे मेरे भाई के घर मे चोरी के लिए घुसा था आहट सुनकर मे अपने घर से बाहर निकला तो बिजली की रोशनी मे खिडकी से देखा अफजल घर के अन्दर था मुझे देखकर मौका पाकर भाग गया। बकसे मे रखा 5000/ रू0, पायल व पंखा भी चुरा ले गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 274/24 धारा 331(4),305 बीएनएस बनाम अफजल पुत्र विसमिल्ला निवासी ग्राम राजापुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था जिसमें अभियुक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक- 20.11.2024 को उ0नि0 संतोष दीक्षित मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अफजल पुत्र विसमिल्ला निवासी ग्राम राजापुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ को चोरी गये सामान एक अदद सिलिंग फैन, एक जोड़ी सफेद रंग पायल व 1000 कैश के साथ हुब्बीगंज बाजार से समय करीब 7.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना जहानागंज: जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 19/11/2024 को वादी मुकदमा बृजेश पुत्र मंगल राय ग्रा0 मित्तुपुर थाना जहानागंज आजमगढ द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गयी थी कि उनके भतीजे अविनाश राय पुत्र कमलेश राय द्वारा पुराने बटवारे को लेकर गाली गुप्ता देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया तथा अपने पास रखे हुए रिवाल्वर को वादी मुकदमा के ऊपर तानते हुए धमकी दिया कि इसी रिवाल्वर से आज जान से मार कर खत्म कर दूँगा की शिकायत पर थाना स्थानी पर मु0अ0सं0 591/24 धारा 131/352/351(2) BNS बनाम 1.अविनाश राय पुत्र स्व0 कमलेश राय ग्राम मित्तुपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह द्वारा संपादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध रिवाल्वर की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है जिसके क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 19.11.24 को उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अविनाश राय पुत्र कमलेश राय निवासी मित्तुपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 35 वर्ष को अवैध रिवाल्वर 32 बोर के साथ समय 23.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

04. थाना- मेंहनगरः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

अवगत कराना है कि दिनांक 04.11.23 को वादी मुकदमा थाना मेहनगर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादी की पुत्री जिसकी उम्र 17 साल की है, रोहित पुत्र बेचुलाल जिनका उम्र (35साल) लगभग है। ग्राम डेढुवाने थाना केराकत जनपद जौनपुर का मूल निवासी है। दिनांक 21-10-23 को समय करीब 3 बजे शाम को वादी की लडकी को प्रार्थी के घर से बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 478/23 धारा 363/366 IPC बनाम रोहित पुत्र बेचलाल ग्राम डेढुवाने थाना केराकत जनपद जौनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 20.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित पुत्र बेचुलाल ग्राम नदौली थाना केराकत जनपद जौनपुर को समय 09.50 बजे कुसमुलिया मोड़ थाना मेंहनगर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05. थाना- निजामाबादः हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

अवगत कराना है कि दिनांक 22.06.2016 को वादी मुकदमा का0 अनिल कुमार सिंह 1476 थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा निन्हकू पुत्र साबिद निवासी लमहनी थाना बदलापुर जिला जौनपुर हाल मुकाम छांगुर का दामाद ग्राम भिनिया मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर द्वारा अपने साथीयों के साथ मिलकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हुये हथियार से लैस होकर हत्या करने की नियत से पुलिस पर हमला करने व आस पास शान्ति व्यवस्था भंग करना तथा भय व आतंक का माहौल बनाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 0162/16 धारा 147,148,149,307,186,353,341,504,506,336 भादवि व 7 सीएलए एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया । मुकदमा उपरोक्त में बाद विवेचना 1.मो0 अब्दुल्ला पुत्र वसीम अहमद 2.मो0 दानिश पुत्र नदीम अहमद 3.मो0 एजाज पुत्र जमील अहमद 4.मो0 अब्दुल्ला पुत्र कल्लन निवासीगण छांऊ थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ 5.आफताब पुत्र भजुमुद्दीन 6.अकरम पुत्र शमशाद निवासीगण संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 7.अबूकैश पुत्र नन्हे निवासी मुहम्मदपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ 8.इकबाल पुत्र जौआद निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 20.11.24 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्त इकबाल पुत्र जौआद निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना गंभीरपुर जिला आजमगढ़ को फरिहा तिराहे पर मंदिर के पास से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0स0 0162/16 धारा 147,148,149,307,186,353,341,504,506,336 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0स0 164/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़

06. थाना बिलरियागंजः वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.11.24 को विपक्षी हिस्से बटवारे के विवाद को लेकर विपक्षी हंसा प्रसाद पुत्र स्व0 बाढू टाडी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ द्वारा आवेदिका के पति राजू सरोज को गाली गुप्ता देते हुए लात मुक्के से मारना पीटना तथा वाये कान को दाँत से काटकर अलग कर दिया गया, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 402/2024 धारा 115(2)/ 118(2) / 352 बीएनएस पंजीकृत हुआ है ।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक- 20.11.2024 को उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हंशा प्रसाद पुत्र स्व0 बाढू पासवान ग्राम ताड़ी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 56 वर्ष को समय करीब 11.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।